5000Rs



1. नाम लेखकारी :- श्री प्रेम कुमार बल्द स्व0 ईश्वरी सिंह, निवास स्थान फुलवारी शरीफ, थाना-फुलवारी, जिला-पटना, भारतीय नागरिक।

2. नाम लेखधारी :- श्रीमति नितमड़ सिंह, सुपुत्री श्री पशुपति नाथ सिंह, निवास स्थान सेक्टर-एफ, मलाही पकरी, थाना-कंकड़बाग, जिला- ----2/

Maa Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.
Director

2000Rs.



जिला-पटना, भारतीय नागरिक ।

3. लेख्य प्रकार :- निर्विवाद विक्रय पत्र बाबत केवाला बगला कलामी ।

4. मूल्यांकन :- मो0- 49000/- [उनचास हजार] मात्र

स्थया विक्री मूल्य लोकल बाजार मूल्य को 87900/- सत्तासी हजार नवसो रू स्टाम्प देखते

5. सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण:- मवाजी 3277 का फीट है

पराजी कारत हलियत रैयती कायमी

नवादी वाकै मौजा जलालपुर परगना

फुलवारी थाना वो सब रजिस्ट्री-दानापुर

सदर रजिस्ट्री वो जिला पटना वो अन्दर

विकास प्राधिकार क्षेत्र पटना वाके है ।

मगर मास्टर प्लान से बाहर है तथा

सरकारी राजस्व अभिलेख में भूमि कृषि

योग्य दिखलाया गया है एवं आज तक

Maa Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.
Director

----3/

500Rs.



कृषि कार्य हो रहा है । जिसकी तौजी सं0-5519 थाना सं0-22(बाईस) खाता सं0-4 (चार) सर्वे खेसरा प्लौट सं0-135 (एक सौ पैंतीस) का अंश भाग जिसकी सलाना लगान 40 पैसा, बजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी दानापुर, पटना ।

चौहदी :-

उत्तर :- विसराम सहकारी गृह निर्माण समिति लि0, पटना।

दक्षिण :- नीज

पूरब :- सर्वे प्लौट सं0- 150।

पश्चिम :- 16 फीट चौड़ा रोड जिसमें से 8 फीट चौड़ा रोड क्रेता अपने खरीदे हुए जमीन में से छोड़ेंगे ।

Web Copy from Sevottam.bih.nic.in

Devendra Kumar
Director



संदर्भ

हकियत यह है कि इस विक्रय पत्र के खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति लेखयकारी के मौरूसी खानदानी सम्पति है जो अपने बिरादर गोतिया से आपसी खानगी बंटवारा के द्वारा बंटकर लेखयकारी को खास हिस्सा में मिला जिस पर बंटवारा के दिन से लेकर आज तक लेखयकारी खाने नं0-5, में वर्णित सम्पति पर काबिज दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहते चले आते है वो हैं ।

लेखयकारी को तत्काल बनाने मकान वो भी धन्द खर्च के लिए रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है जब तक लेखयकारी खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति को बिक्री हेतु बायना कलामी नहीं करते है तब तक रूपयों का शीघ्र प्रबंध करना लेखयकारी के वास्ते प्राय: मुश्किल है । इसलिए लेखयकारी ने अपने पाक साफ जायदाद को अपनी खुशी वो खाहिश से होश वो हवास

---5/

में आकर अपने शुभ चिंतको से राय वो परामर्श इत्यादि लेकर खाने नं0-5, में वर्णित सम्पति को मो0 49000/-(उनचास हजार) रुपया में खाने नं0-2 के जरे-बायला कलमी किया वो लिखा। उपर खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति पर वहैसियत खरीदार काबिज दाखिल होकर वो रहकर जायदाद मजकुर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो नाम अपनी बजाय लेखयधारी के बसिरिस्ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग वो जहां-जहां वो जिस जिस स्थान पर आवश्यकता समझे इस विक्रय पत्र के माध्यम से नामाविंत करा लेवेंगे इसमें लेखयकारी या उनके उत्तरा-धिकारी को किसी किस्म का उजूर वो एतराज न है न कभी होगा।

28-90-50 K.K. 3442 1-134

यह कि लेखयकारी ने खरीदार पक्ष को विश्वास दिलाये है कि खाने नं0-5, में वर्णित सम्पति हर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो ऋणभार सरकार वो गैर सरकारी से प्राय: मुक्त वो पाक साफ है। वो खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति को लेखयकारी ने अन्य किसी के सा। किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण वो बायला कलमी नहीं किये है। अगर इसके खिलाफ खाने नं0-5 में वर्णित सम्पति में अधिकार सम्बन्धी झंझट

----6/

Maa Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.
Director

वो ऋणभार सरकारी वो गैर सरकारी पाया जाय या किसी प्रकार का कोई क्षतिखरीदार पक्ष को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष को अधिकार होगा की बायला खानी के समय दिया हुआ कुल रकम लेखकारी या उनके उत्तराधिकारी के अन्य चल वो अचल सम्पति से कानुनी कार्रवाई करके वसूल कर लेवेंगे उस वक्त लेखकारी या उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति नहीं होगा ।

इस वास्ते यह ~~बायीका निर्विवाद~~ विक्रय पत्र यानि बेवाला बायला कलामी लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे ।

X हिंदी X/6/VG.

- समाप्त -

गवाह :-

1. उपेन्द्र सिंह
 S/o, आदीवासी
 पता - आदीवासी
 जिला - पटना

(2) [illegible]

5-6-96

तौकर श्री [illegible] के [illegible]
[illegible] कागज करवाकर लेखकरी लिखा
वो पढ़ा हुआ समझा दिया वाकि
रहेदिवाद के सत (X) में किये।
ना देय रकम है लिखावाया
ले० दे० मो० सिर 61

Maa Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.
Director

1000RS.



96-90-50

Maa Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.

Director

Director

Maa Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.



1. नाम खेदखारी :- श्री प्रेम कुमार वल्द स्व0
ईश्वरी सिंह, निवास स्थान-
कुवारी शरीफ, थाना-कुवारी
जिला-पटना, भारतीय नागरिक।

For Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.

Director

2000Rs.



2. नाम क्रेतागण :- श्रीमति निलमा सिंह, पत्नी
श्री पशुपति नाथ सिंह, निवास
स्थान-सेक्टर(एफ), गलाही पकरी,
थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना
भारतीय नागरिक।

3. क्रेय पूजार :- निर्विवाद विक्रय पत्र यानि
बेचाला बयला कलामी।

4. मूल्यांकन:- मोट-48,000/-(अड़तालीस हजार)
मात्र रुपया।

5. सम्पति का
सम्पूर्ण विवरण:- मवाजी 3275 वर्ग फीट एरायी
कास्त हदिअत रैयती कायमी नादी

19-04-94

---3/

Maa Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.
Director

100Rs.



बाकें मौजा जलालपुर परगना फुलवारी थाना

वो सब रजिस्ट्री- दानापुर सदर रजिस्ट्री वो

जिला पटना वो अन्दर विकास प्राधिकार क्षेत्र

पटना वाके है । नगर मास्टर प्लान से बाहर

है तथा सरकारी राजस्व अभिलेख में भूमि कृषि

योग्य दिखलाया गया है एवं आज तक कृषि कार्य

हो रहा है । जिसकी तौजी सं0-5519 (पांच हजार

पांच सौ उन्नीस), थाना सं0-22(बाईस) खाता

सं0-4(चार) सर्वे खेसरा प्लौट सं0-135(एक सौ

पैंतीस)

66-40-61

Mas Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.

Director

----9/

100Rs.



का अंश भाग जिसकी सलाना लगान 40

पैसा, जमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा

अंचलाधिकारी दानापुर, पटना ।

चौहद्दी :-

उत्तर :- पार्ट प्लॉट 135 नीज ।

दक्षिण :- नीज

पूरब :- सर्वे प्लॉट सं0 - 150

पश्चिम :- 16 फीट रास्ता जिसमें से 8 फीट

क्रेता अपने खरीदे हुए जमीन में से

छोड़ेंगे ।

Mata Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.

Director

--5/

100Rs.



संदर्भ

हकीयत यह है कि इस विक्रय पत्र के खाने

नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति लेखकारी के मौरूसी

खानदानी सम्पत्ति है जो अपने बिरादर गोतिया

से आपसी खानगी बंटवारा के द्वारा बंटकर

लेखकारी को खास हिस्सा में मिला जिस पर

बंटवारा के दिन से लेकर आज तक लेखकारी

For Maa Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.

Director

100Rs.



आने वो-5, में वर्णित सम्पत्ति पर काबिज

काबिज वो मालिक मुस्तीअल रहते चले आते

है वो हैं।

लेवयजारी जो तत्काल बनाने मकान वो भी

बन्द अर्थ के लिए रुपयों की अत्यन्त आवश्यकता

है जब तक लेवयजारी आने नं0-5 में वर्णित सम्पत्ति

को बिक्री हेतु अपना बयाना नहीं करते है तब तक

---7/

Maa Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.

Director

20 Rs.



स्वर्गीय का शीघ्र पुर्नः करना लेखकारी के वास्ते

पुनः मुश्किल है । इसलिए लेखकारी ने अपने

पास सात बायदाद को अपनी खुशी वो ख़ाहिश

से होश वो हवास में आकर अपने शुभ चिंतको से

राय वो परामर्श इत्यादि लेकर खाने नं0-5, में

वर्णित सम्पति को मो0 48,000/- (अड़तालीस

हजार) रुपया में खाने नं0-2 के वरे- बायता

की कुल रकम वसूलकर पहले पक्षकार को

आमी किया वो लिखा ऊपर खाने नं0-5 में

19-04-94

---8/

Mina Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.

Director

20 Rs.



वर्णित सम्पत्ति पर वहैसियत खरीदार काबिज

काबिज होकर वो रहकर आबाद मजबूर को जिस

प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपभोग में लावे वो

साथ अपनी बजाए लेखधारी के सिफारिस्ता बिहार-

सरकार के जमीन्दारी विभाग वो जहां- जहां वो

जिस जिस स्थान पर आवश्यकता समझे इस विक्रय पत्र

के माध्यम से नामांकित करा लेवेंगे इसमें लेखकारी या

उनके उत्तराधिकारी को किसी किस्म का उज्र वो

एतराज न है न कभी होगा।

यह कि लेखकारी ने खरीदार पक्ष को

विश्वास दिलाये है कि खाने नं0-5, में वर्णित सम्पत्ति

पर प्रकार के अधिकार संबंधी झंझट वो ऋणभार सरकार

वो गैर सरकारी से प्रायः मुक्त वो पाक साफ है।वो

19-10-91

For Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.

Director



खाने नं0-5, में वर्णित सम्पत्ति को लेखकारी ने अन्य किसी के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण यो बायना बयानी नहीं किये है। अगर इसके विपरीत खाने नं0-5, में वर्णित सम्पत्ति में अधिकार सम्बन्धी झंझट वो ऋणभार सरकारी वो गैर सरकारी पाया जाय या किसी प्रकार का कोई क्षति खरीदार पक्ष को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष को अधिकार होगा की बायता बयानी के समय दिया हुआ पूरा रकम लेखकारी या उनके उत्तराधिकारी के अन्य पूरा वो अपना सम्पत्ति से कानूनी कार्रवाई करके वसूल कर लेवेंगे उस वक्त लेखकारी या उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति नहीं होगा।

19-10-97

---10/-

Maa Laxmi Indra Developers Pvt. Ltd.

Director

इस वास्ते यह वाक्षीका निर्विवाद विक्रय पत्र
लिख देवाला वायदा कलमी लिख दिया कि समय
पर काम आवे तो प्रमाण रहे ।

- समाप्त -

19-04-94

साक्षी :-

(1) रामेश्वर सिंह, पुलवारी
दिनांक 19/4/94

(2) Uttam Kumar
19/4/194
Phulwari Patna.

(3) अनुसिंह
पति, अरुण कुमार,
थाना - अदीगंज
जिला - पटना
19-4-94

दिनांक 19-4-1994

Mahalaxmi Infra Developers Pvt. Ltd.
Director

---2/

अनुसूची १४—फारम सं० ६६२

आदेश-पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक १९४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक ता० ... से ... तक

जिला ... में ... सन् १९

केस का प्रकार दा० सा० वाद सं० 1666/1996

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
21.1.97	आज दिनांक 21.1.97 को राजस्व कार्य के निस्तर के प्रसंग में ग्राम ... थाना दानापुर (पटना) में आयोजित कैम्प में श्री ... वल्द श्री ... ग्राम ... थाना ... जिला ... ने निम्नलिखित जमीन का नामांतरण हेतु आवेदन-पत्र दिया है जिसे वसीका संख्या २५२४ दिनांक 5.6.96 द्वारा श्रीमती पूनम कुमारी ... पत्नी ... ग्राम ... थाना ... जिला ... से क्रय किया है।	

जमीन विवरण

मौजा	थाना एवं थाना नं०	तौजी नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	किसका नामांतरण एवं वसीका सं०
दानापुर	22		8	934	3.26 डिसमिल	

13.2.97 हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। आज ही के दिन मुकदमा निर्णीत हुआ। अभिलेख दिनांक 31.1.97 को उपस्थित करें

अंचलाधिकारी

जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :—

(१) रैयती है।

(२) आवेदक के पूर्ण दखल में है।

(३) जबावन्दी ... के नाम से कायम है।

Maa Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.

Director

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	इनकी अनुशंसा नामांकन हेतु है। कैम्प में उपस्थित व्यक्तियों के नामांकन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है। अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से सहमत होकर आवेदक पक्ष में नामांकन की की जाती है। वृद्धि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति राजस्व अधिकारी को दें जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर देंगे। B/ 1997 अंचल अधिकारी, दानापुर लेखापाल अंचल-अधिकारी दानापुर	

Maa Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.

Director

दाखिल खारिज–प्रतिवेदन

मु० केस नम्बर– 1666 साल–96-97 हल्का नम्बर – 8 अंचल–दानापुर

ग्राम–, जलालपुर राजस्व थाना नम्बर– 22 जिला–पटना

मु० में जमीन रकबा प्रस्ताव का तरिका– एकतरफा

परगना केवाला– 2428 तिथि 5.6.96

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 96
मो० अब्दुल सिंह पिता हैदरअली सिंह सा० जलालपुर	६ ५ १३०	१३१ १३५ १३६ २६०	3.८२	६१.००	अंश आम जमीन खुशी की तथा आमदनी किसान के नाम में मौ० क्तेदार आमदनी अंचल में आम पर किसान वार्षिक के० आ० कि० की आमदनी अंचल अधिकारी की तिथि को आम कुल के० ए० एकड़ में मौजमाना में आमदनी खेत आ वि दिया है नाम से आ० ए० (वाकिया किसी आने में विवाद का तिथि को आ० आ० कि० की नाम से आ० ए० (वाकिया की मौजमाना की कीमा मिलती है
या हुआ रकबा					
नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	
श्री श्री खिलजी सिंह सुपुत्री श्री पशुपति नाथसिंह सा० शेखरा पर० गोलाहीपकड़ थाना बंगरुपाश जिला पटना	६	१३५	3266 एकड़	१.००	

Maa Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.

Director

अनुसूची १४—कारण सं० २६२

आदेश-पत्रक

शिविर

(देख अभिलेख हुस्का १९४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक ता० ... से ... तक

जिला ... से ... सन् १९

मेसर्स मा मगार का० आ० बाद सं० 2024 of 25

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
9.3.95	आज दिनांक 2.3.95 को राजस्व कार्य के निस्तर के प्रसंग में ग्राम ... थाना दानापुर (पटना) में आयोजित कैम्प में श्री/श्रीमती ... पिता/पति ... ने निम्नलिखित जमीन का दाखिल हेतु आवेदन-पत्र दिया है जिसे वसीका संख्या 3150 दिनांक 21-4-27 द्वारा से इन्होंने श्री/श्रीमती ... पिता/पति ... से क्रय किया है।	

Chircuit No 3 Mauza No 15

जमीन विवरण

मौजा	थाना एवं थाना नं०	तौजी नं०	खाता नं०	खसरा नं०	रकबा	विक्रेता का नाम एवं वसीका सं०
Mauza	22		8-	934	3294 sq.ft.	

10.3.95

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन की माग करें।

अभिलेख दिनांक 10.3.95 को उपस्थित करें

अंचलाधिकारी

जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन :—

(१) रैयती है।

(२) आवेदक के पूर्ण दखल में है।

(३) बगावती के नाम से कायम है।

Maa Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.

Director



आदेश की पत्र संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सा०-लेख सहित

इनकी अनुशंसा नामांकन हेतु है। केम्प में उपस्थित व्यक्तियों ने नामांकन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशंसा से सहमत होकर आवेदक पक्ष में नामांकन की ... दी जाती है।

सूचि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति राजस्व अभिकर्ता को दें जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में वापस कर देंगे।

हस्ताक्षरित

अंचल अधिकारी, दानापुर

अंचल-अधिकारी
दानापुर

Maa Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.

Director

दाखिल खारिज-प्रतिवेदन

मु० केस नम्बर—
थाना—
मु० में जमीन रकबा
परगना

साल—2120/94-95
केवाला—2150

हल्का नम्बर— 8
राजस्व थाना नम्बर— 21
प्राप्त का जरिया—
तिथि 21.4.94

अंचल—दानापुर
जिला—पटना

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर 90
पुरा मुसाफिर	37	74	8.82	3525	
पुरा 3202 भिन्न	89	598			
	925	389			
	8	397			
	93m	208			
	93	203			
	313				
	m/s				
बचा हुआ रकबा					
नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	
पुरा मुसाफिर भिन्न	8	73X	3292	4.01	
पुरा 3202 भिन्न			वर्ग फीट		
[illegible]					

Certified to be true Copy
Head Clerk 4-9-95

Maa Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.
Director

Sch. XIV.—F.No. 180 V.
रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल। नाम मौजा मय
थाना नम्बर

V

X

नाम
यो स

00578747 2031

रानापुर	जलालपुर	गीमती निलम सिंह

अराजी नम्बरी 22 अराजी मायली पिता

32 ¼ 5 वगैरह पशुपतिनाथ सिंह

जोत का सालाना मांग मालगुजारी (सेवर रुपए में भलाही पक्की

माग धावा 2014-15		सालाना	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	बकाया
माल- गुजारी	(नकदी)	1.00					1.00
	(मायली)	0 25					0 25
सेस	...	0 50					0 50
*सुद	...	0 50					0 50
मुतफरकात	...	0 20					0-20
मीजान		2.45					2.45

तफसील अदायकारी 2.45

अदायकारी बाबत 2014-15		बकाया तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	मोतालवा हाल	मालिक
माल- गुजारी	(नकदी)					1.00	
	(मायली)					0 25	
सेस	...					0-50	
*सुद	...					0 50	
मुतफरकात	...					0 20	
मीजान अदायकारी						2.45	2.45

दो रुपये पैंतालिस पैसा मात्र

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) दो
(2) माग बेदिन्दा — 2.04
(3) कुल बकाया — 0

दस्खत व तारीख अमला तहसील वसूलिन्दा

*द्वारा महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी है) सूद नहीं लिया जाता है।

बो.स.मु.(राजस्व) 1-2011

5/6/14

Maa Laxmi Infra Developers Pvt. Ltd.
Director

Scanned by CamScanner

बिहार भूमि

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार सरकार

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

लगान रसीद

ऑनलाइन
Running Unique No.: **0348778110**
(Receipt No)

जिला:- **Patna**	अंचल :- **Danapur**
हल्का :- **पटना एम कारपोरेशन**	मौजा :- **जलालपुर**
जमाबंदी सं0:- **2242** भाग वर्तमान:- **16** पृष्ठ संख्या:- **25122**	मौजा/थाना सं0:- **22**
जमाबंदी रेयत का नाम:- **नीलम सिंह** अभिभावक का नाम :- **पशुपतिनाथ सिंह**	पता:- **KANKARBAG , PATNA**

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
04	135	0 एकड़ 7.53 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	5.00	20.00	5.00	0.00	30.00	2015-2016 से 2019-2020
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	7.25	29.00	7.25	0.00	40.00	2015-2016 से 2019-2020
कुल	12.25	49.00	12.25	0.00	70.00	2015-2016 से 2019-2020

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	20.00	5.00	30.00	2015-2016 से 2019-2020	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	29.00	7.25	40.00	2015-2016 से 2019-2020	
कुल	49.00	12.25	70.00	2015-2016 से 2019-2020	

कुल बकाया-70.00
वसूल की गयी राशि शब्दों में- Seventy Rupees

तिथि- **17-08-2019**

यह एक कम्प्यूटर जनित प्रति है।
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप मे नही किया जा सकता है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अवलाधिकारी से संपर्क करें।

Maa Laxmi Infra L...

Director